



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SUPAUL
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

RAJANKANT PUBLIC SCHOOL

Ward No.-28, Veena Road, Supaul

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 19-02-2026 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 27-02-2026 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय RAJANKANT PUBLIC SCHOOL, Ward No.-28, Veena Road, Supaul, Supaul, 852131 को कक्षा 1 से 8 तक संवातन हेतु तीन वर्षों 27-02-2026 से 27-3-2029 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संवातन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्घटित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करने।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखा जायेगा। विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 200.01 हेक्ता

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 200.01 हेक्ता

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAY GROUND, CCTV CAMERA, COMPUTER LAB, MATHS LAB, COMPOSITE LAB, PHYSICS LAB, CHEMISTRY LAB, BIOLOGY LAB, R.O. WATER, SEPRATE TOILET FOR BOYS, SEPRATE TOILET FOR GIRLS, SEPRATE TOILET FOR STAFF, PAD VANDING MACHINE FOR GRILS, SMART CLASS _____ ETC

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 31

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3

(vi) वातक तथा वास्तिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 12 , Girls 12

(vii) पेयजल की सुविधा :- 15

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) बाधारहित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिनियम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- TEXT BOOKS, MAPS, GLOBE, POINTERS, COMPUTERS, SMART PHONES, SMART BOARD, CHART, MODEL, LAB TOOLS, NEWS PAPERS, MAGAZINES, PICTURES, MICROPHONE, HAND OUT, FLASH CARDS, PROJECT WORKS DONE BY STUDENTS AND TEACHERS _____ ETC , CRICKET (BAT, BALL), BADMINTON, FOOTBALL, VOLLEY BALL, CHESS, LUDO, BASKET BALL, SKIPPING RIDE, TUG OF WAR, KHO-KHO, KABBADI, CARROM _____ ETC. , (Y , 6000 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अन्तर्गत लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसूचित कोड संख्या [20811092021925084811-2025-2026, 2026] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर 'मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सुचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसूचित की चर्चों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवातन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य चर्चें





विश्वस भाजन
हो 1-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, SUPAUL
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मापदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अधिन निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 200.01 हेक्टेयर

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 200.01 हेक्टेयर

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAY GROUND, CCTV CAMERA, COMPUTER LAB, MATHS LAB, COMPOSITE LAB, PHYSICS LAB, CHEMISTRY LAB, BIOLOGY LAB, R.O. WATER, SEPRATE TOILET FOR BOYS, SEPRATE TOILET FOR GIRLS, SEPRATE TOILET FOR STAFF, PAD VANDING MACHINE FOR GRILS, SMART CLASS ____ ETC

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 31

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-अध्यक्ष कक्षा :- 3

(vi) वातक तथा वाटिकाओं के दिने अलग-अलग चौकाय :- Indian , Boys :- 12 , Girls 12

(vii) पेयजल की सुविधा :- 15

(viii) मच्छाड़ भोजन के दिने रसोई घर :- 1

(ix) वातावरित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिनय सामग्री खेल-कूद उपकरण पुस्तकालय :- TEXT BOOKS, MAPS, GLOBE, POINTERS, COMPUTERS, SMART PHONES, SMART BOARD, CHART, MODEL, LAB TOOLS, NEWS PAPERS, MAGAZINES, PICTURES, MICROPHONE, HAND OUT, FLASH CARDS, PROJECT WORKS DONE BY STUDENTS AND TEACHERS ____ ETC , CRICKET (BAT, BALL), BADMINTON, FOOTBALL, VOLLEY BALL, CHESS, LUDO, BASKET BALL, SHOPPING RIDE, TUG OF WAR, KHO-KHO, KABBADI, CARROM ____ETC. , (Y , 6000 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपरवीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रशासीकरण बॉर्डर एकाउन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अन्तर्गत में उपर्युक्त सेवा दिवसीय तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा दिवसीय की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

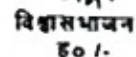
16. आपके विद्यालय को आयुक्त प्रसवीकृति कोड संख्या [20811092021925084811-2025-2026, 2026] है। इस कार्यलय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रजिडेंट एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के तत्वावर रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक का रूप में संलग्न अन्य शर्तें




विज्ञापन
हो 1-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, SUPAUL
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार